न्यायालय अति0 जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 77 / 2024	2024 / 73	16.12.2024	09.01.2025

1. जोरमल पुत्र श्योदान उर्फ सोदान,
2. तैयब खान पुत्र श्योदान उर्फ सोदान,
3. परमाल खान श्योदान उर्फ सोदान,
4. चाहती पत्नी स्व0 श्योदान उर्फ सोदान जाति मेव निवासी ग्राम चीतघाना तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

अपीलान्ट

बनाम

1 तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास नामान्तकरण संख्या 430 दिनांक 12.11.2024 ग्राम चीतघाना तहसील किशनगढबास जिला खैरथल तिजारा (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री सुधीर कुमार, दिनेश शर्मा – वकील अपीलान्टान

–: निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 430 निर्णय दिनांक 12.11.2024 ग्राम चीतघांना तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि अपीलान्टान के पिता एंव पति मृतक श्योदान पुत्र सफेदा मेंव की खातेदारी एंव गैरखातेदारी की आराजीयात दर्ज जमाबन्दीयात संवत 2074–77 खाता संख्या 57, 88 में दर्ज गैरखातेदारी एवं खाता संख्या 93, 94, 95, 96 में दर्ज हिस्सेदारी खातेदारी स्थित है, मिन अपीलान्टान के पिता व पति श्योदान पुत्र सफेदा मेव का निधन दिनाक 29.11.2022 को होने पर हल्का पटवारी ने विरासत का नामान्तकरण संख्या 430 बाद जॉच वारिसान के दिनाक 09.10.2024 को दर्ज किया गया। चूकि मिन अपीलान्टान का पिता व पति अनपढ व ग्रामीण काश्तकार था, पढा लिखा नही था, जिसने किसी भी सरकारी या गैर सरकारी विधालय में प्रवेश प्राप्त कर शिक्षा अध्यन नही किया गया जो अपने जीवनकाल में अपने हस्ताक्षर सोदान के नाम से करता था, जिसके कारण उसके आधार कार्ड में सोदान पुत्र सफेदा दर्ज है। तथा मृतक द्वारा अपने जीवनकाल में खरीदी हुई आराजीयात में श्योदान पुत्र सफेदा दर्ज हो रहा है। जिसके कारण समस्त आराजी खातेदारी व गैरखातेदारी पर राजस्व रिकार्ड में श्योदान पुत्र सफेदा दर्ज हो रहा है। मृतक के आधार कार्ड पर हाल में ऑनलाईन मृत्यू प्रमाण पत्र में भी सोदान पुत्र सफेदा दर्ज है। दोनो नामो का उच्चारण एक ही अध्यन के अभाव में कही पर सोदान व कही पर श्योदान अंकित होने के कारण तहत अदालत ने बेजा रूप से मानवीय द्वष्टिकोण से हटकर आज्ञा दिनाक 12.11.2024 पारित किया गया है। मिन अपीलान्टान मृतक श्योदान उर्फ सोदान के कानूनी एवं विधिक वारिसान है, दीगर कोई कानूनी वारिसान नही है, विरासत नामान्तकरण खारिज हो जाने से मिन अपीलान्टान के हितो पर कुठाराधात हो रहा है। इस लिये मिन अपीलान्टान के हक में नामान्तकरण विरासत दर्ज व स्वीकार कराया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है, कि अपीलान्टान के पिता एंव पति मृतक श्योदान पुत्र सफेदा मेंव की खातेदारी एंव गैरखातेदारी की आराजीयात दर्ज जमाबन्दीयात संवत 2074–77 खाता संख्या 57, 88 में दर्ज गैरखातेदारी एवं खाता संख्या 93, 94, 95, 96 में दर्ज हिस्सेदारी खातेदारी आराजी है, मिन अपीलान्टान के पिता व पति श्योदान पुत्र सफेदा मेव का निधन दिनाक 29.11.2022 को होने पर हल्का पटवारी ने विरासत का नामान्तकरण संख्या 430 बाद जॉच वारिसान के दिनाक 09.10.2024 को दर्ज किया गया। चूकि मिन अपीलान्टान का पिता व पति अनपढ व ग्रामीण काश्तकार था, पढा लिखा नही था, जो अपने जीवनकाल में अपने हस्ताक्षर सोदान के नाम से करता था, जिसके कारण उसके आधार कार्ड में सोदान पुत्र सफेदा दर्ज है। तथा मृतक द्वारा अपने जीवनकाल में खरीदी हुई आराजीयात में श्योदान पुत्र सफेदा दर्ज हो रहा है। जिसके कारण समस्त आराजी खातेदारी व गैरखातेदारी पर राजस्व रिकार्ड में श्योदान पुत्र सफेदा दर्ज हो रहा है। दोनो नामो का उच्चारण एक ही अध्यन के अभाव में कही पर सोदान व कही पर श्योदान अंकित होने के कारण तहत अदालत ने बेजा रूप से मानवीय द्वष्टिकोण से हटकर आज्ञा दिनाक 12.11.2024 पारित किया गया है। मिन अपीलान्टान मृतक श्योदान उर्फ सोदान के कानूनी एवं विधिक वारिसान है, दीगर कोई कानूनी वारिसान नही है, विरासत नामान्तकरण खारिज हो जाने से मिन अपीलान्टान के हितो पर कुठाराधात हो रहा है। रिकार्ड का अवलोकन किया गया तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नही है, अपील अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार किशनगढबास को प्रतिप्रेषित किया जाता है, मृतक के नाम कमशः श्योदान, सोदान के बाबत पुनः गहन जॉच कर वारिसान को पुनः सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिवत निर्णय पारित करे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 12.11.2024 नामान्तकरण संख्या 430 ग्राम चीतघाना तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रकाश नकाते)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा